II- पंजाब मत्स्य अधिनियम, 1914

पंजाब अधिनियम संख्या II, 1914

(30 नवंबर 1923 तक वैध)।

पंजाब की उपराज्यपाल सरकार द्वारा परिषद में पारित

(15 फरवरी 1914 को महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति तथा 29 जनवरी 1914 को महामहिम वायसराय और गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा 13 फरवरी 1914 के राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुई)।

पंजाब में मत्स्य पालन से संबंधित कानून का विस्तार करने के लिए अधिनियम –

इसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:-

शीर्षक: 1. (1) इस अधिनियम को पंजाब मत्स्य अधिनियम, 1914 कहा जा सकेगा।

विस्तार: (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण पंजाब तक है।

2. यह अधिनियम और नियम तब तक अधिक दंडनीय हैं जब तक कि इसका उल्लेख संदर्भ के उपबंधों में न किया गया हो, | "निजी जल" के अर्थ वही होंगे जो 1897 के भारतीय अधिनियम IV की धारा 3 में निर्दिष्ट हैं,

परिभाषाएँ (2. क 1. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो

(1) "मत्स्य पालन अधिकारी" या कोई भी अधिकारी जो प्रांतीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाता है, समय-समय पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों या किसी भी चीज के लिए किसी भी या किसी भी कार्य को करने के लिए एक कार्यालय रखता है, इस अधिनियम या किसी भी नियम द्वारा अपेक्षित है, एक राज्य मत्स्य अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि उपनिरीक्षक से नीचे के पद का कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार सशक्त नहीं होगा।

(2) मछली पकड़ने का अपराध" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी अन्य नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध।

3. (1) प्रान्तीय सरकार इस अधिनियम में इसके पश्चात् वर्णित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों में उन जलक्षेत्रों की घोषणा करेगी, जो कि निजी जलक्षेत्र नहीं हैं, जिन पर वे सभी या उनमें से कोई भी लागू होंगे।

(2) प्रांतीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों या उनमें से किसी को किसी भी निजी जल क्षेत्र पर उसके स्वामी की लिखित सहमति से लागू कर सकेगी,

या उन सभी व्यक्तियों में से किसी की भी, जिन्हें उस समय उसमें मत्स्य पालन का अनन्य अधिकार है।

(3) ऐसे सभी नियम हो सकते हैं :-

(क) बिना लाइसेंस और ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के नियम के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाना, इसके लिए लागू शर्तें और उसमें प्रावधान करना;

(ख) पूर्व निर्धारित मौसम जिसमें किसी भी निर्धारित प्रजाति की मछली को मारना प्रतिबंधित होगा और

(ग) न्यूनतम आकार या वजन निर्धारित करें जिसके नीचे किसी भी निर्धारित प्रजाति की मछली को नहीं मारा जाएगा।

(4) इस धारा के अन्तर्गत किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार निम्नलिखित प्रावधान कर सकेगी-

(क) किसी भी नियम के उल्लंघन में मछली पकड़ने के लिए बनाए गए या इस्तेमाल किए गए अनु उपकरण को जब्त करना, जब्त करना और हटाना, और

(ख) किसी भी मछली को जब्त करना: किसी भी ऐसे उपकरण के माध्यम से।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि वे पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाएंगे।

4. प्रांतीय सरकार को इस अधिनियम की धारा 3 (3) (ख) और (ग) (1) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए किसी भी मछली की पेशकश या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना शक्ति हो सकती है।

5. धारा 3 के तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन दंडनीय होगा, या धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी निषेध का उल्लंघन जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा और जब उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए तक का हो सकेगा, जिसके दौरान यह साबित हो जाए कि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा है, दंडनीय होगा।

6. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी, या इस निमित्त प्रांतीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति, बिना वारंट के किसी व्यक्ति को उसके विचार में धारा 3 के तहत बनाए गए किसी नियम या धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी निषेध का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर सकता है।

(क) यदि व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं है, और

(ख) यदि व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इंकार करता है, या यदि नाम और पते की सत्यता पर संदेह करने का कारण है, यदि दिया गया है, तो

(2) इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को तब तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक उसका नाम और पता सही ढंग से पता नहीं चल जाता।

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उससे अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जितना समय उसे पहचान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिए आवश्यक हो।

7. इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार की नियम बनाने की शक्तियों को सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

8. (1) प्रांतीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मत्स्य अधिकारी को नाम से अथवा किसी पद पर आसीन होने के आधार पर सशक्त कर सकती है।

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में ऐसा साक्ष्य विद्यमान है, जो यदि खंडित न किया जा सके तो यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में वर्णित कोई मछली पकड़ने का अपराध किया है, उस अपराध के लिए प्रतिकर के रूप में धनराशि स्वीकार करना, जिसके संबंध में ऐसा साक्ष्य विद्यमान है और ऐसी धनराशि का द्वितीय अधिकारी को भुगतान कर देने पर ऐसा व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध आगे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी,

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के कारण अभिगृहीत की गई हो, तो उसे अतिरिक्त भुगतान के बिना या ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित मूल्य के भुगतान पर छोड़ देना, और ऐसे मूल्य के भुगतान पर ऐसी सम्पत्ति छोड़ दी जाएगी और उसके संबंध में कोई अतिरिक्त जांच नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य धनराशि किसी भी दशा में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि से अधिक नहीं होगी, जो अनुसूची के पहले स्तम्भ में वर्णित विशेष अपराध के लिए प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य धनराशि है।

अनुसूची

धारा 8 के अंतर्गत मछली पकड़ने से संबंधित कुछ अपराधों के लिए मुआवजे के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि:-

अपराध का वर्णन	मुआवजे के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि
1. अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित जाल से छोटे जाल से मछली पकड़ना	दस रुपये
2. बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना	दस रुपये
3. इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानक से कम आकार या वजन की मछली को मारना।	दस रुपये
4. बंद मौसम के दौरान किसी भी प्रतिबंधित	

	प्रजाति की मछली को मारना	दस रुपये
5.	नियमों के अंतर्गत अनुमत के अलावा किसी भी उपकरण या उल्लेख के साथ मछली पकड़ना।	दस रुपये
6.	किसी भी समय नियमों के तहत अनुमत दो या एक या किसी भी गियर का उपयोग करना।	दस रुपये
7.	मछली पकड़ते समय जाल से सहायता लेने के लिए लाइसेंस धारक व्यक्ति गैर लाइसेंस धारकों को नियुक्त करते हैं या उनसे काम लेते हैं।	दस रुपये
8.	प्रतिबंधित जलक्षेत्र में मछली पकड़ना	दस रुपये
9.	किसी भी मछली को बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए प्रस्तुत करना, जिसकी बिक्री अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रतिबंधित है।	दस रुपये

अनुवादित प्रति